

अनुमंडल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि)बनमनखी,पूर्णिया बिहार**स्वत्व वाद संख्या-18/2018****सी.आई.एस. क्र.-18/2018****घोलट शर्मा बनाम मुसाफिर शर्मा एवम अन्य**

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
21/05/24	<p>वादी एवं प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। यह वाद प्रतिवादी की ओर से आदेश 26 नियम 9 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06/05/2024 पर सुनवाई एवं आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। पुकार पर वादी एवं प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन को संचालित कर समर्पित किया गया है कि वादी के द्वारा यह वाद प्रतिवादी की जमीन को अपना दर्शा कर लाया गया है जिसका पूर्ण विवरण वाद पत्र में वर्णित है। वादभूमि पर प्रतिवादी का घर, दरवाजा शौचालय बना है जिस कारण से वाद भूमि का भौतिक सत्यापन किया जाने हेतु आवश्यक है अतः विनम्र निवेदन है कि अधिवक्ता आयुक्त से भौतिक सत्यापन कराये जाने की कृपा की जाए।</p> <p>वादी के द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं किया गया है।</p> <p>उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा यह वाद स्वत्व की घोषणा, कब्जे की सम्पुष्टि एवं अन्य अनुतोष हेतु लाया गया है जबकि प्रतिवादी का कथन है कि वादभूमि पर उसका दखल कब्जा है ऐसी दशा में वाद के प्रभावी एवम न्यायपूर्ण निराकरण के लिए वादभूमि का भौतिक सत्यापन किया जाना न्याय हित में आवश्यक है अतः प्रतिवादी के उक्त आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह अधिवक्ता आयुक्त खर्च जमा कर रसीद प्रस्तुत करें। वाद आगामी दिनांक 31/05/24 वास्ते अधिवक्ता आयुक्त खर्च हेतु नियत।</p> <p style="text-align: right;">लेखापित-</p> <p style="text-align: right;">असैनिक न्या. (व.को.) बनमनखी</p>	